राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 922/2015/अजमेर.
2. अपील संख्या – 923/2015/अजमेर.

मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, अजमेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर अजमेर
2. सहायक आयुक्त, वृत्त–बी, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 51 व 50/15–16/वैट/किशनगढ़ में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें अपीलीय अधिकारी के समक्ष, अधिनियम की धारा 82 में की गई अपीलों को इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलें अधिनियम की धारा 82(2) के प्रावधान अनुसार 60 दिवस में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी का वित्तीय वर्ष 2006–07 व 2007–08 के कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 31.03.2009 व 31.03.2010 को पारित किये गये थे जिसमें अपीलार्थी की आई.टी.सी. क्रमशः रूपये 10,13,042/– व रूपये 7,39,796/– रिवर्स की गई थी। उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.05.2015 को प्रस्तुत की गई एवं अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण अपीलीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपीलों को वेट अधिनियम की धारा 82 में निर्धारित समय सीमा 60 दिवस के स्थान पर पांच/छः वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत करने से एवं इस असाधारण विलम्ब को माफ करने योग्य नहीं होने से प्रस्तुत अपीलों को श्रवण योग्य नहीं मानते हुए खारिज किया गया।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकरी ने वेट अधिनियम के नियम 30(2) के अनुसार प्रस्तुत वैट—28 एवं शपथ पत्र में अंकित अपील के विलम्ब होने के कारणों पर ध्यान दिये बिना ही अपीलें खारिज की है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपीलीय आदेश को निरस्त कर अपीलों को पंजीकृत करने एवं सुनवाई करने के आदेश दिये जाने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपील के समय प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में यह बता दिया गया था कि अपीलार्थी के कर सलाहकार ने कर निर्धारण के बाद यह सलाह दे दी थी कि कर निर्धारण आदेश में जो आई.टी. सी. रिवर्स की गई थी उसके विरूद्ध अपीलें नहीं करनी चाहिए क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. का रिवर्स किया जाना सही था एवं इस तरह की सलाह के अनुसार अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपीलें प्रस्तुत नहीं की।

5. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी के प्रकरण के समान तथ्यों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स सुमित कम्यूनिकेशन, अजमेर** में जब यह निर्णय दिया की आई.टी.सी. को रिवर्स किया जाना विधिविरूद्ध है अतः अपीलार्थी ने भी वर्ष 2006—07 एवं 2007—08 के कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत की हैं। इस आधार पर विलम्ब को क्षमा कर अपीलों को पंजीकृत करने का आदेश देने का अनुरोध किया।

6. विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान कर बोर्ड के निम्न निर्णयों का भी हवाला दिया —

(1) State of West Bangal V/s The Administrator, Howrah Municipality and Others AIR 1972 S.C. Page 749

(2) Rafiq and another V/s Munishilal and others AIR 1981 S.C. 1400

(3) Collector Land Acquition Anantnag, and others V/s Mst. Katiji and other 1966 STC Page 228

(4) मैसर्स इन्डो अमेरिकन सीमेंन्ट, कॉपरेशन लि., बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत्त—द्वितीय, जोधपुर निर्णय दिनांक 11.05.2007 रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 17/2007

7. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपील निर्णय में न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है।

8. उक्त कथनों एवं तर्कों के साथ अपीलार्थी की क्लेम की गई आई.टी.सी. रूपये 10,13,042/— व रूपये 7,39,796/— का रिफण्ड दिलाये जाने की आज्ञा प्रदान करने का भी निवेदन किया है।

लगातार.....3

9. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए 5/6 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत प्रथम अपील को खारिज करना विधिक एवं न्यायिक निर्णय बताते हुए प्रस्तुत अपीलें खारिज करने का कथन किया।

10. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 82(2) में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने की समय सीमा 60 दिवस प्रदत्त की गयी है एवं 60 दिवस के पश्चात् अपीलीय अधिकारी विलम्ब का युक्तियुक्त कारण होने पर विलम्ब को क्षमा कर अपील ग्रहण कर सकते हैं परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी का प्रथमतः विलम्ब कई वर्षों का है एवं जो आधार दिया गया है कि उनके समान प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा किसी अन्य अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय करने से उनके द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, यह पूर्णतया विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक व्यवस्था के विरूद्ध है अतः अपील आवेदन अवधिपार होने से ग्रहण योग्य नहीं माने जाने का अपीलीय निर्णय विधिसम्मत है।

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

12. अपीलीय अधिकारी के समक्ष जो अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं वह कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2009 व 31.03.2010 के विरूद्ध हैं, जो अपीलार्थी को दिनांक 31.03.2009 व 31.03.2010 को ही तामील करवाये गये थे, जो कर निर्धारण अधिकारी की आदेशिकाओं से स्पष्ट है। उक्त कर निर्धारण आदेशों में कतिपय आधारों पर क्लेम की गई आई.टी.सी. को रिवर्स किया गया था।

13. उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने की समय सीमा अधिनियम की धारा 82 के तहत दिनांक 30.05.2009 व 30.05.2010 तक थी परन्तु अपीलार्थी ने उक्त समय सीमा समाप्ति के पश्चात् दिनांक 01.05.2015 अर्थात् 5 वर्ष 11 महीने व 4 वर्ष 11 महीने देरी से प्रस्तुत की गई जो असाधारण विलम्ब है।

14. अपीलीय अधिकारी को वेट अधिनियम की धारा 82(2) के तहत यह अधिकार दिया गया है कि 60 दिवस के पश्चात् भी यदि अपीलार्थी द्वारा किया गया विलम्ब किसी "पर्याप्त कारण (sufficient cause)" से है तो वे अपील को ग्रहण कर सकते हैं। धारा 82(2) निम्न प्रकार है :—

लगातार.....4

82. Appeal to the appellate authority. –

(2) The appeal shall be presented within sixty days of the date on which the order sought to be appealed against is communicated; but the appellate authority may admit an appeal even after the said period of sixty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period.

15. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुए विलम्ब के कारण जो वैट—28 में बताये गये हैं, उनमें निम्न आधार दिये गये हैं –

प्रथम.– यह कि कर सलाहकार ने उन्हें अपील दायर नहीं करने की सलाह दे दी थी कि कर निर्धारण आदेश में आई.टी.सी. रिवर्स करने का आदेश सही है;

द्वितीय – कि अपीलार्थी को माननीय राजस्थान कर बोर्ड के मैसर्स सुमित कन्युनिकेशन अजमेर के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 15.07.2014 से यह जानकारी हुई कि समान तथ्यों पर आई.टी.सी. रिवर्स करने का आदेश माननीय कर बोर्ड द्वारा अपास्त किया गया है अतः उनके द्वारा भी अपील दायर की गयी है, अतः विलम्ब क्षम्य है; एवं

तृतीय – यह भी बताया गया है कि दिनांक 15.07.2014 के माननीय कर बोर्ड के निर्णय के आधार पर वर्ष 2008—09 एवं वर्ष 2009—10 में रिवर्स की गई आई.टी.सी. तो पुनः संशोधन प्रार्थना—पत्रों के अनुसार प्रदान कर दी गयी थी परन्तु वर्ष 2006—07 एवं 2007—08 के कर निर्धारण आदेशों में संशोधन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने की अवधि पार होने से लाभ नहीं मिल रहा है अतः अपीलें की गयी हैं।

16. अपीलार्थी द्वारा विलम्ब को क्षमा करने के जो उपरोक्त आधार दिये गये हैं वे वेट अधिनियम की धारा 82(2) के "Sufficient cause" की श्रेणी में तथ्यात्मक एवं विधि अनुसार स्वीकार्यता पर विचार किया गया। प्रथमतः अपीलार्थी का यह कथन करना कि कर सलाहकार ने गलत सलाह दी है वह अप्रमाणित कथन है क्योंकि किसी भी सलाहकार द्वारा सामान्य तौर पर भी इतनी बड़ी विवादित राशि की अपील नहीं करने की सलाह नहीं दी जाती है इसके पश्चात् पांच वर्ष के बाद समान विवाद के बिन्दु पर किसी अन्य अपीलार्थी व्यवहारी के मामले में माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 15.7.20104 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार अपीलार्थी को भी लाभ मिलने की सम्भावना से अपील प्रस्तुत करके यह लाभ लेना चाहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 15.07.2014 के भी दस माह बाद दिनांक

लगातार.....5

01.05.2015 को अपील प्रस्तुत की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.07.2014 के माननीय कर बोर्ड के उद्धरित निर्णय **अपील संख्या 2021/2011/अजमेर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—ए, अजमेर बनाम सुमित कम्युनिकेशन, अजमेर** में भी अपीलीय अधिकारी के वर्ष 2011 में पारित किये गये निर्णय की पुष्टि की गयी है जो यह बताता है कि इस समान बिन्दु पर निर्णय वर्ष 2011 में ही अपीलीय अधिकारी द्वारा हो चुका था परन्तु उसके विरूद्ध राजस्व की अपील का निर्णय 2014 में हुआ एवं उसके भी एक वर्ष बाद उक्त अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

17. अपीलार्थी की अपील करने में हुए "विलम्ब" का कारण "अन्य अपीलार्थियों के प्रथम एवं द्वितीय अपील निर्णय तक इन्तजार करना उचित मान लिया जावे" तब उस स्थिति में किसी भी अपील को प्रस्तुत करने के लिये समय सीमा रखे जाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा एवं प्रावधानों में दी गयी समय सीमा निरर्थक हो जायेगी। यह टिप्पणी करना उचित होगा कि किसी भी अपीलार्थी को अन्य मामलों के निर्णय तक इन्तजार करने की छूट धारा 82 में नहीं दी गयी है बल्कि किसी युक्तियुक्त कारण से विलम्ब होने पर उसे माफ करने का अधिकार अपीलीय अधिकारी को दिया गया है जिसका अनुचित आधार पर उपयोग नहीं किया जा सकता। समय सीमा में छूट केवल विशिष्ठ कारण से विलंम्ब होने पर दी जा सकती है जबकि इस प्रकरण में अपील 60 दिवस की निर्धारित अवधि के स्थान पर 5/6 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है बल्कि अपीलार्थी द्वारा समान बिन्दु पर कोई निर्णय आने के इन्तजार को विलम्ब का आधार बताया है जो अनुचित होने से विलम्ब को क्षमा (condone) नहीं करने का अपीलीय अधिकारी का निर्णय पूर्णतया विवेकपूर्ण एवं विधिसम्मत है।

18. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वेट—28 प्रार्थना—पत्र में भी यह बताया गया था कि माननीय कर बोर्ड के आदेश दिनांक 15.07.2014 में स्थापित विधि के आलोक में अंपीलार्थी के वर्ष 2008—09 एवं वर्ष 2009—10 में वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन प्रार्थना—पत्र के जरिये आई.टी.सी. का लाभ प्राप्त कर लिया है परन्तु वर्ष 2006—07 एवं 2007—08 में अपील की जा रही है जो स्वयं यह स्पष्ट करता है कि वर्ष 2006—07 एवं 2007—08 के आदेशों में संशोधन आवेदन करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है अतः उस लाभ को प्राप्त करने के लिये यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। यह आधार स्वयं यह प्रमाणित करता है कि अपीलार्थी को इच्छित लाभ विधि अनुसार प्राप्त नहीं होने से

लगातार.....6

अपील के जरिये एवं विलम्ब माफ करने के प्रावधानों का अविधिक उपयोग कराना चाहा है जो पूर्णतया अनुचित एवं विधिविरूद्ध है एवं ऐसे मामलों में बिलम्ब को माफ किया जाना अविधिक एवं अनुचित होने से इस आधार पर भी अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत है।

19. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1981–एस.सी. 749** का हवाला दिया है, जिसमें अवधारित किया गया है कि अभिभाषक के दुष्कृत्य या लापरवाही पर अपीलार्थी की अपील dismiss नहीं करनी चाहिये। उक्त मामला अपील को dismiss करने का था, ना कि अपील पेश नहीं करने अथवा विलम्ब से पेश करने का था। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण से प्रासंगिक नहीं है।

20. विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अन्य माननीय न्यायिक दृष्टान्तों में तथ्यों के आधार पर युक्तियुक्त कारणों से विलम्ब को condone करने के निर्णय दिये गये हैं परन्तु इस प्रकरण में विलम्ब होने सम्बन्धी प्रस्तुत आधार युक्तियुक्त नहीं हैं। यह टिप्पणी करना उचित होगा कि किसी अन्य मामले में न्यायिक निर्णय के आने के पश्चात् किसी भी समय अपील करने की अनुमति दिया जाना अधिनियमों में दी गई समय सीमा के प्रावधानों का उल्लंघन करना होगा।

21. अतः उक्त दोनों अपीलों को अस्वीकार किया जाता है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा विलम्ब माफ नहीं करने के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

22. निर्णय सुनाया गया।

23/3/17

(के. एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष